# न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारीः— श्रीनिधि बी.टी., आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर**

**मुकदमा नम्बर 100/2021** **जीसीएमएस न0 2021/170**

**व उनवानी प्रकरण :—**

संदीप कुमार पुत्र श्री मौजीराम जाति वैश्य निवासी सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

बनाम

1. फरियाद खाँ पिसरान बुन्दू खाँ
2. सकूर खाँ पिसरान बुन्दू खाँ
3. मुमजाज खाँ पिसरान बुन्दू खाँ
   कौम फकीर मुसलमान निवासीगण सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
4. सायरा बानो पिसरान बुन्दू खाँ कौम मुसलमान निवासी सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (फोत)
   4/1 सरफराज पुत्र सायरा बानो
   4/2 फिरोज पुत्र सायरा बानो
   4/3 शाहिद पुत्र सायरा बानो
   जातिगण मुसलमान निवासीगण ग्राम तासगंज जिला आगरा यू.पी.
5. बहीदन पिसरान बुन्दू खाँ कौम फकीर मुसलमान निवासी सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
6. रामभरोशी पुत्र तेज सिंह जाति कायस्थ
7. शशी पत्नी सुनील कुमार जाति वैश्य
8. श्रीराम बहादुरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति ठाकुर
9. कप्तानसिंह पुत्र माताप्रसाद जाति ठाकुर
10. रघुबीर पुत्र भगवानसिंह जाति ठाकुर
11. सुधा शर्मा पत्नी राकेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण
   समस्त निवासीगण सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
12. बिसमिल्ला पत्नी मुल्याज मौहम्मद जाति फकीर मुसलमान निवासी सेपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (फोत) दौराने कार्यवाही

13 रामभरोशी पुत्र अंगना जाति कुम्हार निवासी सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (फोत) दौराने कार्यवाही

13/1 पुष्पा पत्नी स्व. रामभरोशी
13/2 शशि पुत्री स्व. रामभरोशी
13/3 कुसुम पुत्री स्व. रामभरोशी
13/4 विनीता पुत्री स्व. रामभरोशी

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

13/5 मितेन्द्र पुत्र स्व. रामभरोशी
13/6 दुर्गेश पुत्र स्व. रामभरोशी
समस्त जातिगण कुम्हार निवासीगण सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
14. रामकली पत्नी मोहनसिंह जाति ठाकुर
15. शरीफ मोहम्मद पुत्र शकूर मोहम्मद कौम फकीर मुसलमान
16. समीम मोहम्मद पुत्र मुल्याज मोहम्मद कौम फकीर मुसलमान
17. योगेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति ठाकुर
18. राजेश प्रसाद शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा जाति ब्राह्मण
19. अजय कुमार पुत्र रामस्वरूप वर्मा जाति स्वर्णकार
20. सतेन्द्र देव पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण
21. हरिओम परमार पुत्र अलवेलसिंह जाति ठाकुर
समस्त निवासीगण सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ......................
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील सैपऊ

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एवं 88**
**एल.आर..एक्ट 1956**

**उपस्थिति अभिभाषकगण :-**

**प्रार्थी की ओर से** – श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट, धौलपुर
**अप्रार्थी सं0 01 लगायत 3, 5 लगायत 9, 11, 14 लगायत 21 की ओर से** – श्री योगेश शर्मा एडवोकेट, धौलपुर
**अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से** – श्री रमाकांत शर्मा एडवोकेट, धौलपुर

**निर्णय** **दिनांक 09.02.2026**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 3587/3094 रकवा 06 विस्वा गैरमुमकिन आबादी, 3598/3094 रकवा 17 विस्वा वारानी अलिफ एवं 3093 रकवा 03 विस्वा वाके गाम सैपऊ नं. 1 तहसील सैपऊ जिला धौलपुर विवादग्रस्त है। विवादग्रस्त खसरा नम्बरान 3094 रकवा 01 बीघा 03 विस्वा, साविक खसरा नम्बर 1025 मिन रकवा 01 बीघा 01 विस्वा किस्म गैरमुमकिन रास्ता, 1275 रकवा 07 विस्वा किस्म गैरमुमकिन ऊसर एवं 3093 रकवा 03 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1025 मिन रकवा 04 विस्वा गैरमुमकिन रास्ता से बने हैं खसरा नम्बर 3094 रकवा 01 बीघा 03 विस्वा में से 06 विस्वा भूमि आबादी में रूपान्तरित करा दी है इसलिए उसके दो नम्बर 3587/3094 रकवा 06 विस्वा एवं 3598/3094 रकवा 17 विस्वा कायम कर किये गये हैं। गैरमुमकिन रास्ते की आराजी को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी के लिए भी नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता है खसरा नम्बर 1025 सम्पूर्ण गैर

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

मुमकिन रास्ता था जिसे गैरसायलान के पिता बुन्दू खाँ ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर सिवायचक दर्ज करा लिया। खसरा नम्बर 3094 एवं 3093 में कभी काश्त नहीं हुई ये दोनों खसरा नम्बर रास्ते के नम्बर थे जिन पर गैरसायल नम्बर एक लगायत पांच के पिता बुन्दू ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने हक में गलत रिपोर्ट कराकर दिनांक 12.2.1976 एवं 23.2.1976 को आवंटन नियमन श्रीमान ए.डी.एम. साहब धौलपुर का आदेश बताते हुए नायब तहसीलदार सैपऊ के साथ धोखा एवं गलत बयानी करते हुए सीधे इंतकाल संख्या 25 से खातेदारी प्राप्त कर ली है। नायब तहसीलदार को भी डायरेक्ट खातेदारी देने का कोई अधिकार नहीं था इस प्रकार बुन्दू के नाम की गई खातेदारी का दाखिल खारिज संख्या 25 शून्य है वैसे तो बुन्दू खां के नाम विवादग्रस्त खसरा नम्बरान का ए.डी.एम. साहब द्वारा कोई नियमन नहीं किया गया था यदि नियमन किया गया है तो यह आवंटन शून्य नियमन है जिससे गैरसायलान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादग्रस्त भूमि ग्राम सैपऊ के रास्ते की भूमि है जिस पर गैरसायल ने मकान बना लिया है रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है एवं कुछ भूमि अभी भी खाली पड़ी है। विवादग्रस्त खसरा नम्बरान से लगी हुई गैरमुमकिन आबादी की भूमि है उक्त खसरा नम्बरान की आड़ में गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 ने भूखण्ड विक्रय करके लोगों को आबादी की भूमि में कब्जे दे दिये हैं और मकान निर्माण करा दिये हैं तथा आबादी की भूमि में से भूखण्ड विक्रय कर विवादग्रस्त खसरा नम्बरान में मकान बनाने पर उतारू हैं। यह भूमि थाने के दक्षिणी दिशा में स्थित भूमि है जो कि ग्राम आबादी के मध्य में है। विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में है जिस पर धारा 16 के अनुसार नियमन नहीं किया जा सकता है जिस पर नियमन शुरू से ही शून्य है। विवादग्रस्त आराजी पर निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं बन्दोबस्त के दौरान 119 गैरमुमकिन रास्ते से सिवायचक बयानी अलिफ। इंतकाल नम्बर 119 से गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 के पिता बुन्दू खाँ को डायरेक्ट खातेदारी इंतकाल नम्बर 305 से रूपान्तरण के आधार पर आबादी दर्ज की गई। इंतकाल नम्बर 592 से गैरसायलान 6 लगायत 21 के नाम विक्रय के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई। उपरोक्त समस्त इन्द्राजात शून्य इन्द्राजात हैं। गैरसायलान संख्या 6 लगायत 21 को बुन्दू खां ने जमीन विक्रय की है वो विवादग्रस्त आराजी पर जबरन मकान बनाने पर उतारू हैं अगर उपरोक्त लोगों के द्वारा मकान बना दिये गये तो ग्राम के आम लोगों एवं सायल को बहुत परेशानी होगी। गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 विवादग्रस्त भूमि में भूखण्ड विक्रय कर कोलोनी काट रहे हैं जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 16.6.2012 की बात है गैरसायलान विवादग्रस्त आराजी पर मकान बनाने के लिये नापतौल करने लगे तब सायल ने मना किया तो नहीं माने सायल का मकान उक्त भूमि से लगा हुआ है इसलिए सायल के द्वारा कुछ नकलें पूर्व में ही प्राप्त कर ली थी और कुछ नकलें 17.08.2012 को प्राप्त की एवं नियमन की नकल के लिए दरख्वास्त दी जिसके लिए भू अभिलेखागार से यह कह दिया गया कि हमारे यहां इस नियमन का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है इसलिए नकल नहीं दी जा सकती है तब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान को करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मिलान क्षेत्रफल सैपऊ, नकल भूप्रबंध विभाग, नकल खसरा बन्दोवस्ती, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017, नकल जमावन्दी संवत 2013 से 2016, नकल इन्तकाल नम्बर 119, जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 सैपऊ नम्बर 1, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2043 से 2046, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2050, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2059 से 2062, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2066, फोटो स्टेट कॉपी आदेश खातेदारी दिनांक 20.01.1982, नकल जमावन्दी संवत 2067 से 2070, खाता संख्या 262 एवं 529, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2067 से 2070 पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1लगा.3 एवं 5लगा.9 एवं 11 एवं 14 लगा. 21 की ओर से योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालातनाम पेश किया व अप्रार्थी संख्या–10 की ओर से रमाकांत शर्मा एडवोकेट ने वकालातनामा पेश किया।

अप्रार्थी संख्या–1लगा.3 एवं 5लगा.9 एवं 11 एवं 14 लगा. 21 की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जवाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि धारा 16 आर.टी.ए. के प्रावधान प्रकरण में विवादित कृषि भूमि पर लागू नहीं होते हैं तथा विवादित खसरा नम्बर कभी गैरमुमकिन रास्ता नहीं था तथा किस्म सिवायचक बन्दोबस्त के पूर्व से विधिवत रूप से दर्ज थी तथा उत्तरदातागण के पक्ष में हुए खातेदारी इन्द्राजात व नामान्तरकरण वैध है। आवंटन व नियमन पूर्णतः वैध है तथा वक्त नियमन व आवंटन व नामान्तरकरण धौलपुर में ए.डी.एम. का पद था तथा धौलपुर का जिला भरतपुर था तथा उक्त समय पर ए.डी.एम. को आवंटन के नियमन के किस्म परिवर्तन के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे लिहाजा आवंटन/नियमन व नामान्तरकरण पूर्णतः वैध है तथा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। विवादित खसरा नम्बर पर मकान निर्मित है तथा खसरा नम्बर विधिवत रूप से आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरित हो चुका है। लिहाजा आवासीय उपयोग व उपभोग को दृष्टिगत रखते हुए भी कोई कार्यवाही पूर्णतः अवैध है तथा काबिल खारिजी के है। सायल का तथा आम लोगों का विवादित खसरा नम्बर से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। किसी भी प्रकार का स्वत्व हित अधिकार नहीं है लिहाजा सायल का किसी अन्य व्यक्ति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है तथा सायल द्वारा परेशानी को भी स्पष्ट अंकित नहीं किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी वराये बदनियति, दुर्भावनापूर्वक उत्तरदातागण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी के है। विवादित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में हुए नियमन/आवंटन तथा समस्त नामान्तरकरण कानूनन एक ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से आक्षेपित नहीं किये जा सकते है। लिहाजा काबिल खारिजी के है। सायल अपने जन्म से ही ग्राम सैपऊ में निवास कर रहा है तथा सायल को जन्म से ही उत्तरदातागण के पक्ष में हुए विवादित खसरा नम्बर के खातेदारी इन्द्राजात नामान्तरकरण तथा आवंटन/नियमन की जानकारी थी तथा सायल ने इतने लम्बे अन्तराल बाद उत्तरदातागण से दुश्मनी होने की वजह से प्रार्थना पत्र में अवधि के सम्बन्ध कोई

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

भी स्पष्टीकरण अंकित नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अधिकारों से परे (बाहर) प्रस्तुत है सायल व उत्तरदातागण के मध्य पूर्व से ही मुकदमेबाजी लम्बित है रेफरेन्स कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार ही कानूनन सक्षम अधिकारी होता है तथा प्राइवेट व्यक्ति को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित कृषि भूमि का खातेदारी से तथा कृषि उपयोग से भूमि रूपान्तरण होकर वर्तमान में आवासीय उपयोग व उपभोग हो रहा है व मकान निर्मित है तथा भूमि आवासीय परिधि में घिरी हुई है लिहाजा सक्षम दीवानी न्यायालय के पास ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। उक्त कृषि भूमि पर धारा 16 आर.टी.ए. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं राज्य सरकार द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में विधिवत रूप से खातेदारी इन्द्राजात, नामान्तरकरण तथा आवंटन/नियमन किये गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेंस खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि धारा 16 आर.टी.ए. के प्रावधान प्रकरण में विवादित कृषि भूमि पर लागू नहीं होते हैं तथा विवादित खसरा नम्बर कभी भी गैरमुमकिन रास्ता नहीं था तथा किस्म सिवायचक वन्दोवस्त के पूर्व से विधिवत रूप से दर्ज थी उत्तरदाता के पक्ष में हुये खातेदारी इन्द्राजात व नामान्तकरण वैध है। आवंटन व नियमन पूर्णतः वैध है तथा वक्त नियमन व आवंटन व नामान्तकरण धौलपुर में ए डी एम का पद था तथा धौलपुर का जिला भरतपुर था तथा उक्त समय पर ए डी एम को आवंटन के नियमन के किस्म परिवर्तन के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे लिहाजा आवंटन/नियमन व नामान्तकरण पूर्णतः वैध है तथा प्रार्थना पत्र काविल खारिजी के है। विवादित खसरा नम्बर पर मकान निर्मित है तथा खसरा नम्बर विधिवत रूप से आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरित हो चुका है लिहाजा आवासीय उपयोग व उपभोग को दृष्टिगत रखते हुये भी की गई कार्यवाही पूर्णतः अवैध है। तथा काविल खारिजी के है। सायल का तथा आम लोगों का विवादित खसरा नम्बर से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है किसी भी प्रकार का स्वत्व, हित, अधिकार नहीं है लिहाजा सायल या किसी अन्य व्यक्ति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है तथा सायल द्वारा परेशानी को भी स्पष्ट अंकित नहीं किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी वराये वदनीयति दुर्भावना पूर्वक उत्तरदायी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी के है। विवादित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में हुये नियमन/आवंटन तथा समस्त नामान्तकरण कानूनन एक ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से आक्षेपित नहीं किये जा सकते है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। सायल अपने जन्म से ही ग्राम सैपऊ में निवास कर रहा है तथा सायल को जन्म से ही उत्तरदाता के पक्ष में हुये विवादित खसरा नम्बर के खातेदारी इन्द्राजात नामान्तकरण तथा आवंटन/नियम की जानकारी थी तथा सायल ने इतने लम्बे अन्तराल वाद उत्तरदाता से दुश्मनी होने की वजह से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थना पत्र अवैध है तथा प्रार्थना पत्र की अवधि के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण अंकित नहीं

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

है तथा प्रार्थना पत्र अधिकारों से परे (बाहर) प्रस्तुत है इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। सायल व उत्तरदाता के मध पूर्व से ही मुकदमेबाजी लम्बित है रेफरेन्स कार्यावाही करने के लिए तहसीलदार ही कानूनन सक्षम अधिकारी होता है तथा प्राइवेट व्यक्ति को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। विवादित कृषि भूमि का खातेदारी से तथा कृषि उपयोग से भूमि रूपान्तरण होकर वर्तमान में आवासीय उपयोग व उपभोग हो रहा है व मकान निर्मित है तथा भूमि आवासीय परिधि से घिरी हुई है लिहाजा सक्षम दीवानी न्यायालय के पास ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। उक्त कृषि भूमि पर धारा 16 आर टी ए के प्रावधान लागू नहीं होते है राज्य सरकार द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में विधिवत रूप से खातेदारी इन्द्राजात नामान्तकरण तथा आवंटन/नियमन किये गये है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। विशेष वजूहात वक्त बहस जुवानी उत्तरदाता द्वारा निवेदन किये जावेंगे। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 1025 एवं 1075 के कई नम्बर बने होना स्वीकार है लेकिन ख0न0 3093 एवं 3094 गै0मु0 रास्ते की भूमि में से बने है। यह भूमि रास्ता की भूमि थी। इसके प्रमाण के लिए प्रार्थी की ओर से खसरा बन्दोबस्ती प्रस्तुत किया गया है, उसमें स्पष्ट रास्ता लिखा हुआ है। इसलिए अन्य खसरा नम्बरान के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नही है। खसरा नम्बर 1025 एवं 1075 साविक से बने अन्य नम्बरान की किस्म गै0मु0 रास्ता नही थी लेकिन खसरा नम्बर 3093 एवं 3094 जिस भूमि से बने है, उसकी किस्म रास्ता थी। इस भूमि का आवंटन नियमन नही हो सकता था। ऐसा आवंटन नियमन गैर कानूनी है। विधि विरूद्ध है। खसरा बन्दोबस्ती से यह साबित है कि खसरा नम्बर 3093 एवं 3094 रास्ता की भूमि से बने है। धरा 16 आर0टी0एक्ट के तहत् रास्ते की भूमि का आवंटन नियमन नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में स्पष्ट अंकित किया है कि गैर सायल नम्बर 1 लगायत 5 के पिता बुन्दु ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने हक में गत रिपोर्ट कराकर दिनांक 12.2.76 एवं 23.2.76 का एडीएम साहब का आवंटन आदेश बताते हुए नायब तहसीलदार सैपऊ के साथ धोखाधडी एवं गलत बयानी करते हुए सीधा इन्तकाल नम्बर 25 खातेदारी का करा लिया है। नायब तहसीलदार को डारेक्ट खातेदारी देने का अधिकार नही है। इस प्रकार बुन्दु के नाम की गई खातेदारी नल एण्ड वोइड शून्य है। नामान्तकरण संख्या 119 शून्य है। वैसे बुन्दु के नाम कोई नियमन नही किया गया। अगर किया गया है तो वह शून्य है। इस प्रकार नियमन एवं खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 119 को चेलेन्ज किया गया है। शेष नामान्तकरण उसके पश्चात्वर्ती नामान्तकरण है जिन्हे चेलेन्ज किया जा सकता है। आरआरटी 2011-12 (सर्वोच्च) पेज संख्या 375 पर होल्ड किया गया है कि गैर खातेदारी दिये बिना सीधे ही खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। आवंटन निरस्त किया गया। कमाण्ड एरिया मे

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

नायब तहसीलदार को सीधे ही खातदेारी प्रदान करने के अधिकार नही है जो खातेदारी आदेश नायब तहसीलदार ने किये है, वो अधिकार विहीन है, नल एण्ड वोइड शून्य है। आवंटन नियमन करने का उद्देश्य सरकार का भूमिहीन लोगो को कृषि कार्य करने हेतु भूमि प्रदान करने का है, आवासीय कॉलोनी काटने के लिए भूमि आवंटन नही की जाती है। इसलिए आवादी में रूपान्तरित कराना गलत एवं विधि विरूद्ध है। आवंटी ने सरकार के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य किया है जो स्वीकार योग्य नही है। अगर आवंटन निरस्त होता है तो रूपान्तरित आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। आवंटन नियमन के आधार पर की गई गलत प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए रेफरेंस पोषणीय है। जिन व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है, उन्हे पक्षकार बनाया गया है, किसी व्यक्ति ने बिना विधिक इन्द्राज के अगर निर्माण कर लिया है तो उसे पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नही है। तहसीलदार अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन नही कर रहा है तो उससे विधिक प्रकिया बदल नही जायेगी। तहसीलदार द्वारा आवंटन शर्तो के उल्लघंन की रिपोर्ट नही करता है। न्यायालय श्रीमान चाहे तो कभी भी तहसीलदार सैपऊ से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब कर सकते है। गैर सायलान के नाम गलत आवंटन/नियमन से एवं विधि विरूद्व खातेदारी से गैर सायलान द्वारा आवंटित भूमि कॉलोनी बनाकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारवालों का भारी परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी को रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी द्वारा जो रूलिंग पेश की है, वो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम किये गये अवैध नियमन एवं नामान्तकरण को निरस्त करने हेतु मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के लिए रेफरेंस किया जावे। प्रार्थी अभिभाषक ने उक्त कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011—12(सुप्रीम) पेज न0 375, पेश की।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्रों में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 3587/3094 रकवा 06 विस्वा गैर मुमकिन आवादी एवं खसरा नम्बर 3598/3094 रकवा 17 विस्वा एवं खसरा नम्बर 3093 रकवा 03 विस्वा बाके ग्राम सैपऊ नम्बर 01 के सम्बन्ध में इस आवश्यक का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ह`कि उक्त हाल खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 1025 मिन व 1275 मिन में से बने है तथा गत खसरा नम्बर 1025 व 1275 रास्ते की भूमि थी। नियमन धारा 16 आरटीए से प्रतिबन्धित है। इसलिए उक्त हाल ख0न0 3093, 3587/3094, 3598/3094 के सम्बन्ध में खोले गये इन्तकार नम्बर 119, 305 व नामान्तकरण संख्या 592 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेंस भेजा जावे। उक्त रेफरेंस का जबाव अप्रार्थीगण ने यह प्रस्तुत किया था कि गत खसरा नम्बर 1025 बहुत बड़े क्षेत्रफल का सरकारी खसरा नम्बर था तथा गत खसरा नम्बर 1275 भी बडे क्षेत्रफल का खसरा नम्बर था जिनमें से खसरा नम्बर हाल 3093 व 3094 के अलावा हाल खसरा नम्बर 2612, 2622, 3072, 3073,3075,3075,3077, 3078,1383 एवं अन्य खसरा नम्बर भी बने थे तथा प्रार्थी ने दुर्भावनापूर्वक मात्र उत्तरदाता के विरूद्ध असत्य कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अन्य उक्त खसरा नम्बरों के खातेदारों के

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की है तथा उत्तरदारा ने अपने उक्त कथन की पुष्टि के लिए ख0न0 1025 व 1275 का मिलान क्षेत्रफल व उनसे बने कुछ हाल खसरा नम्बरों की जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने अपने रेफरेंस प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित किया है कि गत खसरा नम्बर 1025 व 1275 रास्ता भूमि के नम्बर थे जबकि वास्तविकता में गत खसरा नम्बर 1025 व 1275 कई बटा नम्बरों में विभाजित थे जिसमें से कुछ भाग पर मौके पर रास्ता था जिस पर आज भी मौके पर रास्ता मौजूद है लेकिन ख0न0 1025 व 1275 में अधिकाशं मिन नम्बरों की किस्म ऊसर भूमि एवं हार खाकी तथा कुछ की किस्म गौड़ा खाकी रिकार्ड व मौके पर थी, रास्ता भूमि नही थी जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा संवत् 2014 से 2017 में गत ख0न0 1025/1 लगायत 1025/8 की किस्म देखने पर तथा उत्तरदारा द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में भी संवत् 2012 से लेकर मिसल बन्दोबस्त तक का अवलोकन करने पर होती है। उक्त दस्तोवजों से यह पूर्णतः साबित होता है कि उत्तरदाता की खातेदारी में खसरा नम्बर रास्ता भूमि में से नही बने तथा किस्म हार खाकी, गौड़ा खाकी व ऊसर भूमि धारा 16 आरटीए की परिधि में नही आती है। प्रार्थी ने उत्तरदाता के पक्ष में हुए नियमन आदेश को कही भी रेफरेंस प्रार्थना पत्र में चेलेन्ज नही किया बल्कि एक ही रेफरेंन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से नामान्तकरण संख्या 119 च 305 तथा 592 को चेलेन्ज किया है। कानूनन एक ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूल आदेश को चेलेन्ज किये बिना प्रविष्टियों को चेलेन्ज नही किया जा सकता है एवं समस्त नामान्तकरणों के विरूद्ध एक ही रेफरेन्स पोषणीय नही है। उत्तरदाता की खातेदारी ख0न0 3093, 3587/3094, 3598/3094 बाके ग्राम सैपऊ नम्बर–01 कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है तथा जिनका नियमन व गैर खातेदारी व खातेदारी उत्तरदाता से कीमत जमीन प्राप्त कर प्रदान किये गये थे, कीमन जमीन उत्तरदाता से प्राप्त करने का अंकन नियमन आदेश में स्पष्ट रूप से हो रहा है तथा कीमत जमीन प्राप्त करने के पश्चात् रेफरेंस प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। उत्तरदाता की खातेदारी का खसरा नम्बर 3587/3094 आवासीय भूमि रूपान्तरित है जिसको प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या नम्बर 01 में स्वीकार करता है तथा भूमि रूपान्तरण में भी समस्त रिकार्ड की जॉच होती है तथा भूमि रूपान्तरण के पश्चात् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के आवेदन पत्र मौका रिपोर्ट दिनांक 13.2.2013 को तहसीलदार धौलपुर से तलब की गई थी जिसमें रूपान्तरित भूमि में शकुन्तला पत्नी अशोक जाति वैश्य द्वारा भूखण्ड दिनांक 23.4.2012 को किय करना व उसका मकान बना होना एवं परषोत्तम पुत्र रोशन का भी मकान बना होना एवं भूखण्ड कय करना अंकित है लेकिन उक्त केतागण को पूर्ण ज्ञान के बावजूद भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया, सुनवाई का मौका प्रदान नही किया गया, रेफरेन्स प्रार्थना पत्र Non joinder of Parties के दोष से भी ग्रसित है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा आज तक किसी भी आवंटी के विरूद्ध किसी शर्त के उल्लघंन का आरोप नही लगाया है, प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप भी असत्य है। उपरोक्त परिस्थितियों में रेफरेंस प्रार्थना पत्र को असत्य कथनों पर आधारित मानते हुए एवं विधि विरूद्ध मानते हुए एवं दुर्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही मानते हुए इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने उक्त कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023 (1) पेज संख्या 101, आरआरटी 2015 (2) पेज संख्या 1130, आरआरटी 2014(2) पेज नम्बर 1004, आरआरटी 2012(1) पेज नम्बर 419, आरआरटी 2010(2) पेज नम्बर 1200, आरआरडी 1994 पेज नम्बर 193, डीएनजे 2019(राजस्व) पेज 221, आरआरडी 1986 पेज 337, आरआरटी 2014(2) पेज नम्बर 1150, आरआरटी 2010(1) पेज नम्बर 577 पेश की।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं विद्वान अभिभाषकगणो की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी की ओर से यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बर 3587/3094 रकवा 06 विस्वा गै0मु0आबादी, 3598/3094 रकवा 17 विस्वा बारानी अलिफ एंव 3093 रकवा 03 विस्वा वाके ग्राम सैंपऊ नं1 तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर के साविक नंम्बर 1025 मिन रकवा 01 बीघा 01 विस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता तथा ख.नं. 1275 रकवा 07 विस्वा किस्म गै0मु0 ऊसर से बना होना कथन करते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साविक ख.नं. 1025 संपूर्ण को गै0मु0रास्ता होना कथन करते हुए भूमि की किस्म प्रतिबन्धित श्रेणी की होने के कारण आवटंन नियमन नही किया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत खसरा बन्दोवस्ती संवत 2019 में ख.नं. 3093 व 3094 में फसल दर्ज है। खसरा संवत् 2014–17 में ख.नं. 1025 के बटा नम्बर 1 से 8 दर्ज है जिनमें से बटा नं. 1,6,7 व 8 की किस्म रास्ता तथा बटा नं. 2 लगा0 5 की किस्म गौंडाचाह/हारखाकी दर्ज है। जमाबंदी संवत 2013–16 में ख.नं. 1275/4, 1275/5 की किस्म गौडाखाकी /मंझाखाकी दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2013–16 में ख.नं. 1025 के बटा नंम्बर 1025/4 व 1025/5 की किस्म हारखाकी दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2017–20 में ख.नं. 1025 के बटा नं. 1025/1, 1025/2 व 1025/3 की किस्म गौंडाचाह तथा 1025/4 व 1025/5 की किस्म हारखाकी दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि ख.नं. 3093 व 3094 साविक ख.नं. 1025 मिन नम्बर से बना है परन्तु 1025 के कई बटा नम्बर है जिनकी किस्म हारखाकी/गौडाचाह इत्यादि दर्ज है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की किस्म नही है। अतः यह स्पष्ट नही है कि ख.नं. 3093 व 3094 किस बटा नम्बर से बना है। अभिभाषक प्रार्थी का एक तर्क यह है कि अप्रार्थी के पिता ने पटवारी हल्का से गलत रिपोर्ट कराकर दिनांक 12.02.1976 एंव 23.02.1976 को आवटंन नियमन ए0डी0एम0 का आदेश गलत बयानी कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किए है जबकि अप्रार्थी की ओर से जिला अभिलेखागार से जारी नियमन आदेश दिनांक 12.02.1976 की प्रमाणित प्रति पेश की है। अतः यह कथन स्वीकार योग्य नही है कि गलत बयानी कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किए हो जबकि नामान्तरकरण संख्या 119 में भी ए0डी0एम0 के आदेश दिनांक 12.02.1976 एंव 23.02.1976 का स्पष्ट अंकन हो रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी ने मकान बना कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। इस हेतु धारा 82 के तहत रैफरेन्स प्रकरण से कोई निदान संभव नही है। हस्तगत प्रकरण प्रार्थी की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 82 के तहत नामान्तकरण को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010 (i) पेज संख्या 562–570, आरआरडी 1993 पेज संख्या 378 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है, कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 82 के प्रावधानो द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग निजी पक्षकारों के मध्य विवादित प्रश्न के निराकरण हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। नायब तहसीलदार सैंपऊ द्वारा स्वीकृत नामा0 सं. 119 के अवलोकन अनुसार ए.डी.एम. धौलपुर द्वारा नियमन हेतु आदेश दिनांक 12 व 23.02.76 जारी हुआ है जिसके अनुसार नामा0 संख्या 119 एंव अन्य पश्चात्वर्ती नामा0 स्वीकार हुए है। इस संबध में अभिभाषक अप्रार्थी का कथन उचित है कि प्रार्थी को मूल आदेश को चैलेन्ज करना चाहिए। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उनके द्वारा नियमन की नकल के लिए दरख्वास्त दी जिसके लिए भू अभिलेखागार से यह कह दिया कि नियमन का रिकॉर्ड उपलब्ध नही है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है जिसको जिला अभिलेखागार से नकल देने से इंकार कर खारिज किया हो। अतः अभिभाषक प्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नही है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सैंपऊ की रिपोर्ट दिनांक 13.02.2013 के अनुसार प्रकरण में विवादित आराजी पर मौके पर आबादी बसी हुई है। इस संबध में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2010(2) आरआरटी पेज 1200 में मा0 उच्च न्यायालय के मत अनुसार आबादी भूमि पर 1956 के अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही करना मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को सिद्ध करने में असफल रहा है तथा प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0 एक्ट के तहत पोषणीय नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर